

भारत सरकार  
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री जी ने माह नवंबर, 2014 में पेंशनभोगियों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 'आधार' पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली "जीवन प्रमाण" का शुभारंभ किया है। यह, डिजिटल भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध अन्य विधियों के अतिरिक्त है।

2. "जीवन प्रमाण" का उद्देश्य पेंशनभोगियों एवं कुटुंब पेंशनभोगियों को बैंक की शाखा या किसी अन्य पेंशन वितरक एजेंसी में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाई से बचाना है। अब किसी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से अथवा नजदीकी सुविधा केंद्र में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है। इसके अतिरिक्त बैंक, बैंक खातों एवं पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) संख्या को आधार संख्या से लिंक कर पेंशन एवं अन्य भुगतानों की वैधता को सुनिश्चित करेंगे।

3. अतः सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को सुझाव दिया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने परिजनों को आधार के लिए यथाशीघ्र पंजीकृत करवा लें और पेंशन वितरक अधिकारी को आधार संख्या के बारे में सूचित कर दें। यह कार्य यथाशीघ्र संपन्न कर लिया जाए ताकि नवंबर, 2015 में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय किसी असुविधा से बचा जा सके।

4. अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://jeevanpramaan.gov.in> पर जाएं।

पेंशनी  
(वंदना शर्मा)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी